

23	नेफोलोजी, (मेडिसिन) नेफोलोजी(पीएमएसएसवाई)	1	ओपीसी	(27)	0	0	0	0	0	0	0
24	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	एसओसी	(93)	1	ओपीसी	(139)	0
					1	अनारक्षित	(94)	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(140)	0
					1	ओपीसी	(95)	1	ओपीसी	(171)	0
25	पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एसओसी	(45)	1	एसओटी	(47)	1	ओपीसी	(71)	0
26	पैथालोजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	फार्माकालोजी	1	एसओसी	(49)	1	एसओसी	(25)	1	एसओसी	(93)	0
								1	अनारक्षित	(144)	0
								1	एसओसी	(173)	0
								1	ओपीसी	(177)	0
28	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(48)	0	0	0	0
29	फार्मसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	फिजियोलोजी	0	0	0	0	0	0	1	ओपीसी	(48)	0
								1	अनारक्षित	(94)	0
								1	ओपीसी	(95)	0
								1	एसओसी	(145)	0
31	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	अनारक्षित	(96)	0
								1	अनारक्षित	(146)	0
32	बायोकेमिस्ट्री	0	0	0	1	अनारक्षित	(96)	0	0	0	0
33	माइक्रोबायोलोजी	0	0	0	0	0	0	1	ओपीसी	(151)	0
33	मेडिकल गैस्ट्रोइन्टेलोजी	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(74)	0
34	यूरोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	रेडियोलॉजी	1	ओपीसी	(37)	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(30)	1	ओपीसी	(37)	0
					1	अनारक्षित	(98)	1	अनारक्षित	(152)	0
					1	एसओसी	(99)	1	एसओसी	(153)	0
					1	ईओडब्ल्यूएसओ	(100)	1	अनारक्षित	(154)	0
					1	एसओसी	(101)	1	ओपीसी	(155)	0
					1	अनारक्षित	(102)	1	अनारक्षित	(156)	0
								1	ओपीसी	(157)	0
36	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	अनारक्षित	(108)	0	1	फिजिसिस्ट	(161)
		16						0			0
					50			64			0

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत है:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹-2,20,000/-, सहायक आचार्यों का नियत वेतन ₹-1,60,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी पद हेतु ₹-75,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- घटन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अर्हता तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्हता को पूर्ववर्ती अर्हता पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उच्च राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओपीसी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवाएं लोक सेवा आयोग से सीधी नर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अर्हता/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयवाधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में नियमितकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन मुग्तान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबंध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबंध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह शिथिल में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- अभ्यर्थियों से सन्तुष्टिकार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
- उपरोक्त शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उच्चतर लेखनक के कार्यालय प्रा. सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल शैक्षिक आय ₹50,000 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिस्थिति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिवार्य अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एनओएसओ माहडू लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- जो अभ्यर्थी एमओडी/एमएसओ के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

सं- 24/तददिनांक
प्रतिज्ञापि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उच्चतर लेखनक को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापि को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उच्चतर।
नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापि को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर